सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

हरचन्द बनाम कुरजां

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 31 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.18	अभिभाषक अपीलांट श्री लक्ष्मीनारायण सियाग व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक उभयपक्षों को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही जांगलू तहसील नोखा के खसरा नम्बर 1392 तादादी 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 1393 तादादी 2.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1489 तादादी 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1490 तादादी 5.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1491 तादादी 6.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 1492 तादादी 6.61 हेक्टर कुल किता 6 कुल तादादी 20.51 हेक्टर भूमि जीतूराम की भूमि रही है। इस प्रकार वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। वादगत् भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का कितना हिस्सा बनता है यह तथ्य अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलांट की बहिनों द्वारा अपना अपना हिस्सा अपीलांट के पक्ष में रिलिज कर दिया गया है। उस समय रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था। वादगत् भूमि वादी के दादा की भूमि बता रहे है। ऐसी स्थिति में पिता के जीवनकाल में पुत्र हक नहीं मांग सकते। वादी द्वारा गलत मांग की गई है। वादगत् भूमि पर वादी का हिस्सा 0.683 हेक्टर ही बनता है। वादगत् भूमि अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी दर्ज भूमि है व हिस्से दार भी काफी है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक मामलों में एकतरफा स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।	

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्थगन आदेश पारत करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना कोई विवेचन अंकित नहीं किया है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के मौखिक कथन पर विश्वास करते हुए वादगत् भूमि के बाबत् स्थगन आदेश पारित करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि वादगत् भूमि आज दिनांक को अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। केवल मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से रेस्पोडेन्ट द्वारा तमाम कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–05–2018 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29–5–2018 को वादगत् भूमि ग्राम जांगल के खसरा नम्बर 1392 तादादी 0.2100 हेक्टर, खसरा नम्बर 1393 तादादी 2.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1489 तादादी 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 1490 तादादी 5.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1491 तादादी 6.4800 हेक्टर, खसरा नम्बर 1492 तादादी 6.6100 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 20.5100 हेक्टर के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने जाने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 05–07–2018 नियत की गई है। इसप्रकार अदालत मातहत का उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश की परिभाषा का आदेश है। अपीलांट उक्त आदेश से किसी प्रकार व्यथित है तो अदालत मातहत के समक्ष निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट की अपील एक अंतरिम आदेश के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील है। जो मेंटेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जानी चाहिए। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरआरडी 2014 पेज 345 व आरआरडी 2005 पेज 349 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में वादगत् भूमि ग्राम जांगल के खसरा नम्बर 1392 तादादी 0.2100 हेक्टर, खसरा नम्बर 1393 तादादी 2.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1489 तादादी 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 1490 तादादी 5.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1491 तादादी 6.4800 हेक्टर, खसरा नम्बर 1492 तादादी 6.6100 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 20.5100 हेक्टर के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने जाने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 05–07–2018 नियत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 29–05–2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। हमने आदेश जैर अपील का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 05–07–2018 तक कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

यदि अपीलांट अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी प्रकार व्यथित था तो उसे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। चूंकि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2016 एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पुश्तैनी भूमि है। जिस पर सभी पक्षकारों के हक व हकूक निहित है व जिसका निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में तय होना है।

इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2005 पेज 349 मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। जिसमें अभिलिखित है कि :– Rajasthan Tenancy Act, Section 212 - Revision against order of RAA - Disputed land is ancestral - Dispute is vetween father and son - A Hindu son has right by birth in the ancestral land during life time of his father and can claim partition - ..... It is deemed proper to issue temporary injunction against

defendant not to transfer the total land till decision of the suit - Order of both the subordinate courts, sec aside - Direction issued to the trail court. ऐसी स्थिति में उक्त नजीर के प्रकाश में चूंकि अपीलाधीन आदेश जोकि एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है में किसी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अपीलांट यदि उक्त आदेश से किसी प्रकार व्यथित है तो आगामी नियत दिनांक 05–07–2018 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।